

4.3.25

पत्रावली पेक्षा दुई। प्राचीं ती ओर से
प्रस्तुत प्राचीं-पत्र खेमत दस्तावेजो तब्या
भूमि धारी तहसीलदार गढी द्वारा प्रस्तुत
जवाब के आधार निर्णय प्रबल से जारी
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर
दाखिल दफतर से।

उपस्यण्ड अधिकारी
गढी, जिला सदाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 02 / 2025

उनवान

1. श्री अमरजी पिता डूंगर गायरी निवासी सामागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी

बनाम

1. क्षेत्रिय वन अधिकारी, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जसिये भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 04.3.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 6 (नयी) 55 (पुरानी) के खसरा संख्या 4152/1433 रकबा 0.96 है. कुल किता 01 रकबा 0.96 है. भूमि ग्राम ओड़ा पटवार हल्का लसाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबीज हो काशत करता चला आ रहा है। प्रार्थी के खसरा संख्या 4152/1433 की तरमीम राजस्व लट्टा नक्शे में दर्ज थी। सेरीकेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों की ऋटि के कारण ऑनलाईन नक्षे में तरमीम करते वक़्त खसरा संख्या 4061/1433 रकबा 0.69 है. भूमि जो कि वन विभाग के नाम दर्ज है की तरमीम कर दी गई। अतः खसरा संख्या 4152/1433 रकबा 0.96 है. भूमि की तरमीम मूल नक्षा लट्टा अनुरूप दुरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश हुआ।


प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 को जवाब हेतु समूचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी का जवाब पेश हुआ। तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम ओड़ा की खाता संख्या 06 खसरा संख्या 4152/1433 रकबा 0.96 है. भूमि अमरजी पिता डूंगर गायरी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 577 खसरा संख्या 4061/1433 रकबा 0.69 है. भूमि वन-विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा संख्या 4152/1433 रकबा 0.96 है. के उत्तर व पूर्व में खसरा नम्बर 4061/1433 रकबा 0.69 है. को ऑनलाईन नक्शा में दर्शाया गया है जबकी मूल नक्शा लट्टा में खसरा संख्या 4061/1433 रकबा 0.69

हे. की तरमीम हो रखी है जो खसरा नम्बर 4152/1433 के पूर्व की ओर है। रिपोर्ट के साथ जमाबंदी, हाल ऑनलाईन नक्शा, ट्रेस नक्शा प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रायली है।

पत्रायली पर उपलब्ध दरतावेजों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 4152/1433 रकबा 0.96 हे. की राजस्व लट्टा नक्शा में तरमीम अंकित है तथा Online भू-नक्शा में भी उक्त खसरे की तरमीम अंकित है। दोनों तरमीमों में भिन्नता है। तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास ही वन विभाग की भूमि खसरा नम्बर 4061/1433 स्थित, जिसकी राजस्व लट्टा नक्शा एवं भू-नक्शे में तरमीम अंकित है तथा दोनों में भिन्नता है। तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 4152/1433 के उत्तर-पूर्व में खसरा न. 4061/1433 को ऑनलाईन भू-नक्शा में दर्शाया गया है जबकि मूल नक्शा लट्टा में खसरा नम्बर 4061/1433 की तरमीम हो रखी है, जो खसरा नम्बर 4152/1433 के पूर्व की ओर है, जो सही है। तथा मौके पर खातेदार काबिज है। अतः लट्टा नक्शा पर अंकित खसरा नम्बर 4152/1433 की तरमीम अनुसार भू-नक्शे में तरमीम दुरस्ती की अनुमति दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक ०५, ३. 2025 को जारी किया गया।


(श्रवण सिंह राटौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा